Reg. No. : N-1316/2014-15

ISSN 2394-2207
November, 2023 - April 2024
Vol. X, No. I
IIJ Impact Factor : 5.01

उन्मेष

Unmesh

An International Half Yearly
Peer Reviewed Refereed Research Journal
(Arts & Humanities)

प्रधान सम्पादक

डॉ० राधेश्याम मौर्य

सम्पादक

डॉ० शिवेन्द्र कुमार मौर्य

प्रकाशक : जन सेवा एवं शोध शिक्षा संस्थान, प्रतापगढ़, उ०प्र०

Reg. No. : N-1316/2014-15

IIJ Impact Factor : 5.01
ISSN : 2394-2207

उन्मेष
Unmesh

An International Half Yearly Peer Reviewed Refereed Research Journal (Arts & Humanities)

Vol. : X No. I November, 2023-April, 2024

प्रधान सम्पादक
डॉ० राधेश्याम मौर्य

सम्पादक
डॉ० शिवेन्द्र कुमार मौर्य

सह-सम्पादक
डॉ० मनोहर लाल
डॉ० मोती लाल
डॉ० अखिलेश कुमार
डॉ० रामचन्द्र रजक

प्रकाशक
जन सेवा एवं शोध शिक्षा संस्थान, प्रतापगढ़-२३०००१ (उ०प्र०)

उन्मेष Unmesh - ISSN 2394-2207

Impact Factor : 5.01
Vol. : X, No. I,
November, 2023-April, 2024
Pg. No. 135-136

भारतीय महिलाओं का शोषण : वैदिक काल से अब तक

प्रो० (डॉ०) महालक्ष्मी जौहरी*, अजय कुमार विक्रम**

*समाजशास्त्र विभाग, पी0के0 विश्वविद्यालय, शिवकुटी, म0प्र0

**शोधछात्र, पी0के0 विश्वविद्यालय, शिवकुटी, म0प्र0

सारांश : समाज की यह बात यथार्थ रूप से बेमानी लगती है जिस समाज में नारी को देवी का ओहदा हासिल है वहीं नारी के साथ अत्याचारों की लम्बी कतार भी खड़ी दिखाई देती है। ये बात सही है कि पूर्वकाल में नारी का आधिपत्य था। नारी ही पुरूषों, बच्चों और बुजुर्गों का पालन–पोषण करती रही है। बच्चों की पहचान भी ममता के नाम से होती है। समय के परिवर्तन के साथ पुरूषों ने नारी के अधिकारों का दोहन कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपने अधिकार छिन जाने के बाद नारी के इतिहास में तरह–तरह के उतार–चढ़ाव देखने को मिलते हैं।

मुख्य शब्द : वैदिक काल, उपनयन संस्कार, भारतीय संस्कृति, अभिजात्य वर्ग, पुरूषवादी समाज आदि।

वैदिक काल में समाज कहने पर यह है महिलाओं की स्थिति व भूमिका समाज में काफी ऊँची और पुरूषों के अधिकारों के समान दिखती है। और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाओं में भाग ही नहीं लेती थीं बल्कि धार्मिक क्रियाएं कराने वाले पुरोहितों और ऋषियों का दर्जा भी उन्हें भी प्राप्त था। उस समय महिलाएँ धर्म शास्त्रार्थ इत्यादि में पुरूषों की तरह ही भाग लेती थी। उन्हें "गृहणी, अर्धागिंनी कहकर सम्बोधित किया जाता था। पुत्र–पुत्री के पालन–पोषण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था।" उपनयन संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी स्त्रियों को पुरूषों की भांति समान रूप से प्राप्त था। तत्कालीन युग में महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी।" अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा का प्रचलन भी इस युग में नहीं था।" महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी, संभवतः उनको अपना जीवन साथी के चुनाव का पूर्ण अधिकार प्राप्त था यद्यपि विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था लेकिन विधवाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था और उन्हें अपने पति की सम्पति पर अधिकार प्राप्त था। यूं कहा जा सकता है कि स्त्रियाँ, किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नहीं थी। भारतीय समाज के वैदिक काल में नारी को पुरूषों के समाज में शिक्षा, धर्म, राजनीति और सम्पति के अधिकार एवं सभी मामलों में समानाधिकार प्राप्त थे।" इसके बाद धीरे–धीरे नारी को प्रदत्त अधिकारों में ह्रास बढ़ता गया और नारी को प्रदान अधिकारों, शिक्षा, स्वतंन्त्रता, धार्मिक अनुष्ठानों आदि से वंचित किया जाने लगा जिससे वह पूर्ण रूप से पुरूषों पर आश्रित हो गयी। वही मनु ने कहा कि "नारी का बचपन में पिता के अधीन, यौवनावस्था में पति के आधिपत्य में तथा पति की मृत्यु के उपरान्त पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। इसके बाद नारी की बची–खुची आजादी का भी हनन हो गया और नारी का स्तर दोयम दर्जे की ओर बढ़ता चला गया। भारतीय इतिहास का वास्तविक काल वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। "चतुर्वेदों में ऋग्वेद को सबसे अधिक प्राचीन वेद माना है इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को माना जाता है। ऋग्वेद में ब्रम्हज्ञानी पुरूषों के साथ–साथ ब्रम्हवादिनी महिलाओं का भी नाम आता है। इनमें विश्वधारा, लोपा मुद्रा, घोषा, इन्द्राणी, देवयानी आदि प्रमुख महिलाएँ हैं। एक तरफ जहाँ भारतीय संस्कृति में नारी को सदा ऊँचा स्थान मिला है। नारी को मर्यादा के क्षेत्र में पुरूषों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है तथा स्त्री और श्री में कोई भेद नहीं किया गया है।" वही उसी नारी के साथ अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो चुका था। नारी के ऊपर तरह–तरह की बंदिशे जैसे पर्दे में रहना, पुरूषों की आज्ञा का पालन करना, प्रति उत्तर न करना, चारदीवारी में रहना आदि। इन सब बंदिशों ने नारी को नारी से भोग्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। तब नारी मात्र संतान पैदा करने की वस्तु के रूप में जानी की जाने लगी। द्वापर में द्रौपदी के साथ जैसा हुआ वैसा किसी भी युग की नारी के साथ देखने को नही मिलता है। वह विवाहित हुई अर्जुन की, और पांच पाण्डवों में बटी और किसी वस्तु की तरह जुए में दांव में लगा दी गई, और हारने के उपरान्त दुर्योधन के हाथों में ऐसे सौंप दी गई जैसे किसी कसाई के हाथों में बकरी सौंप दी जाती है। हालांकि उत्तर वैदिक काल ईसा के 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक का युग उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में पिण्डदान इत्यादि के लिए पुत्र जन्म की कामना रहती थी लेकिन पुत्री के जन्म पर कोई विशेष आपत्ति नहीं होती थी। इस युग में महिलाओं में धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इस काल में महिला को यज्ञादि कर्मो, बाल विवाहों को प्रचलन तथा विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना शुरू हो गया था। "अनुलोम–प्रतिलोम विवाहों के प्रतिबंध, स्त्री शिक्षा को सीमित करना, उपनयन संस्कार की औपचारिकता, कर्मकाण्डों की जटिलता की शुरूआत इसी काल में हुई। मनु और याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों के द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंधात्मक निर्देश तथा पतिव्रत धर्म का पालन करना और पति को परमेश्वर के रूप में मानने की प्रथा प्रारम्भ हुई, माना जाता है, कि इस युग में वैदिक युग

का प्रभाव बना हुआ था। इस कारण से उनकी स्थिति विपरीत रूप से अधिक प्रभावित नहीं हो सकी। इससे केवल अशिक्षित और अल्प–शिक्षित तथा निम्न वर्ग की स्त्रियां ही प्रभावित हुई। अभिजात्य वर्ग की कुलीन महिलाएँ अपनी शिक्षा और सम्पन्नता के बल पर पुरूषों के साथ समानता का व्यवहार पाती थी। गौरतलब है कि 11वीं शताब्दी से 18 शताब्दी के काल को मध्यकाल कहा जा सकता है। इस काल को स्त्रियों की दृष्टिकोण में काला युग कहा जा सकता है। भारत में राजाओं की आपसी फूट का फायदा मुस्लिम शासकों ने उठाया और भारत देश पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। कुछ एक बादशाहोंने जोर–जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करवाया तथा महिलाओं के साथ ज्यादतियाँ शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं ने स्त्रियों पर अनके प्रतिबंधात्मक निर्देशों और स्मृतिकारों की मनगढन्त बातों को धार्मिक स्वीकृति प्रदान किया।यह भी कहा गया कि स्त्री को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए उसे किसी ने किसी के संरक्षण में ही रहना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का विधान भी इसी युग में दिया गया। इस काल में नारी की दशा दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा ने नारी को घर की 'चारदीवारी की कैद में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, और बाल विवाहों का बाहुल्य हो गया तथा शिक्षा के द्वार उसके लिए लगभग बन्द कर दिये गये। इसके साथ–साथ ही सती प्रथा भी अपने शिखर पर पहुंच गयी थी। इस काल में महिलाओं को घर के कामकाज तक ही सीमित कर दिया गया। पति परमेश्वर धर्म और पति के आदेशों पर महिलाओं को चलने का कड़ाई से पालन इसी काल में हुआ। वस्तुतः मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतंत्रता सभी प्रकार से छीन ली गयी और उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरूषों के अधीन कर दिया गया। यदि इसे भारतीय नारी का दुर्भाग्य कहें या कुछ और कि उसे एक तरफ देवी बनाकर पूजा जाता है, तो दूसरी ओर सेविका बनाकर शोषण किया जाता है, एक युग था, जब नारी को पत्थर की मूर्तियों के भेंट चढ़ाया जाता था और अंत में वेश्यालयों में बेच दिया जाता था। पुरूष अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नारी का उपयोग एक वस्तु की तरह करता आया है। पुरूष ने स्त्री मन में यह भावना संस्कार की तरह कूट–कूटकर भर दी है कि वह सिर्फ और सिर्फ शरीर है। शरीर के सिवा पुरूष किसी और पहचान से इन्कार करता है। वही कंकाल उपन्यास में प्रसाद ने स्वीकार किया है कि पुरूष नारी को उतनी ही शिक्षा देता है जितनी उसके स्वार्थ में बाधक न हो। कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था अब पुरूषवादी समाज ने विज्ञान की नई तकनीक का प्रयोग करके औरत को मारने तथा उसे जड़ से मिटाने के नये तरीके का प्रयोगकर रहा है। यदि भ्रूण को ही मार दिया जाए तो शिशु को मारने की नौबत नहीं आयेगी। एक भयानक सच यह भी है कि हमारे संभ्रान्त समाज में आज भी बेटियों को गला दबाकर मार दिया जाता है। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में बेटी का जन्म होते ही उसे पैदा करवाने वाली स्त्री नवजात का गला दबाकर या आक का दूध पिलाकर बच्ची की जान ले ली जाती है। इसका एक मात्र कारण "समाज में औरतों को बराबरी का दर्जा न मिल पाना है क्योंकि पुरूष आज भी नही चाहता कि नारी उसके समक्ष आकर खड़ी हो। हमारे समाज में औरतों पर लगी पाबंदियाँ आज भी ज्यों की त्यों हैं। पुरूष चार जगह प्रेम करे या तीन शादियाँ, वह स्वतंत्र है। उसे समाज बहिष्कृत नहीं करता। उसे कुलटा और करमजली नहीं कहा जाता है। और यदि स्त्री अपना जीवन अपने अनुसार बिताना चाहे तो सारे नियम बदल जाते हैं। उसे तरह–तरह के नामों से सम्बोधित किया जाता है। जिसको नारी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, कि जिस पुरूष पर स्त्री अपना सब कुछ निछावर कर देती है, वही पुरूष उसके साथ अत्याचार करता है। और नारी की विवशता को अनुचित लाभ उठाने से भी नहीं चूकता। वर्तमन परिवेश में तो नारी पर दहेज के नाम पर, बलात्कार का शिकार बनाकर, मारपीट करके अपना गुलाम बनाना आम बात हो चुकी है। बहुत बार तो परिवारों में महिला को निकटतम सम्बन्धियों के यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है जिनसे वो अपनी सुरक्षा की आशा लगाती है वो ही इज्जत को तार–तार करते रहते हैं जिसको अपना नसीब मानकर जुल्मों को बर्दाश्त करती है और ईश्वर से जरूर कहती है कि अगले जन्म में मोहे बिटिया न कीजौ।

सन्दर्भ :

1. श्रीवास्तव, के0सी0, प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति
2. लता, डॉ0 मंजू, अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, पृ0 56
3. कौर, डॉ0 अजुमन दीप, कामकाजी नारी, उपलब्धि और संताप के दायरों में, पृ0 113
4. वर्मा, डॉ0 ओ0 पी0, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, विकास प्रकाशन, पृ0 132
5. यादव, राजेन्द्र, आदमी के निगाह में औरत, पृ0 83
6. मनीषा, हम सभ्य औरतें सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 38
7. सिंह, चेतवन, चन्द्र, क्या अपराध हैं –औरत होना?, पृ0 92

****